

प्रेस नोट

***थाना रोहनियां पुलिस द्वारा शांति चोर रंजीत कुमार पटेल गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04**

अदद मोबाइल फोन बरामदा*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 21/09/2020 को थाना रोहनियां के उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान पुलिस सहायता केन्द्र भदवर में मौजूद थे, इसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति आलोक नगर कालोनी से हाइवे मजार(खुशीपुर) की तरफ आ रहे है, जो अपराधी (चोर) प्रवृत्ति के है और लोगों का मोबाइल चोरी करके बेचते है, आज भी चोरी के मोबाइलो को बेचने जा रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के आलोकनगर कालोनी (खुशीपुर) हाइवे किनारे मजार के पास रुककर आने वाले बदमाशों का इंतजार करने लगे कि थोड़ी ही देर में आलोक नगर कालोनी की करफ से 02 व्यक्ति हाइवे मजार की तरफ पैदल आते हुए दिखाई दिये, जिनको मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस टीम को आता देखकर उक्त बदमाश पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे कि एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से चोरी के 04 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त रंजीत कुमार पटेल को समय करीब 20.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं व मेरा साथी अजय पटेल पुत्र बुचनू पटेल जो मेरे ही ग्राम का रहने वाला है, हमलोग भिन्न-2 जगहो से अलग-2 व्यक्तियों से चोरी किए हुए मोबाइल फोन जो कि विभिन्न कम्पनियो के है को बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया तथा मेरा साथी अजय पटेल फरार हो गया। फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु थाना रोहनियां पुलिस द्वारा दबिश की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

➤ रंजीत कुमार पटेल पुत्र जय प्रकाश पटेल ग्राम मिसिरपुर थाना रोहनियां वाराणसी उम्र 20 वर्ष।

फरार अभियुक्त का विवरण-

1 - अजय पटेल पुत्र बुचनू पटेल निवासी मिसिरपुर थाना रोहनियां जनपद वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1 - आईफोन A1533 रंग सिलवर IMEI No. 352083070250303

2 - OPPO A5 रंग नीला IMEI No -866278042743349,866278042743356,

3 - OPPO A35 रंग नीला IMEI NO 864054049459003, 8640540494590011

4 - सैमसंग गलैक्सी A205 रंग काला IMEI-N0-352233110102661,352233110102663

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना प्रभारी रोहनियां उमेश चन्द्र विश्वकर्मा, उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री रामचन्द्र यादव, उ0नि0 श्री घनश्याम गुप्ता, का0 जितेन्द्र सिंह व का0 सुरेन्द्र यादव थाना रोहनियां, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 175/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 22/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 22.09.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर के उ0नि0 प्रदीप यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व कोविड-19 के दृष्टिगत आजमगढ़ रोड बाई पास पर चेकिंग कर रहे थे कि एक व्यक्ति सारनाथ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जो चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर स्कूटी पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे संदेह के आधार पर पकड़ कर पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम मोहित गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार निवासी स 3/15बी1 छोटालालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी बताया तथा स्कूटी के बारे में पूछने पर बताया कि दो दिन पहले जवाहिर सेठ छोटालालपुर के मकान के समाने से यह स्कूटी चोरी किया हूँ, आज बेचने के लिए शिवपुर जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मोहित गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार निवासी सा 3/15बी1 छोटालालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद स्कूटी वाहन संख्या: यूपी-65 सीक्यू-3099 सम्बन्धित मु0अ0स0 155/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रदीप यादव, का0 पंकज कुमार व का0 संतोष वर्मा थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक



सर

दिनांक 22-09-2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मु0अ0स0 155/2020 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित चोरी की स्कूटी बरामद हुई।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट

आज दिनांक 22.09.2020 को थाना बड़ागाँव के उ0नि0 अजय कुमार यादव, मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 413/20 धारा 363/366/506 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार सोनकर पुत्र बबऊ सोनकर निवासी पलवारपुर जनपद भदोही, अपहृता के साथ बाबतपुर नहर पुलिया के पास मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में है, यदि शीघ्रता किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि अजय कुमार यादव द्वारा मय हमराह पुलिस बल के बाबतपुर नहर पुलिया के पास पहुँचकर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार सोनकर उपरोक्त को समय 11.05 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से नाबालिक अपहृता बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

➤ धर्मेन्द्र कुमार सोनकर पुत्र बबऊ सोनकर निवासी पलवारपुर जनपद भदोही उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

➤ उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव, हे0का0 अब्दुल रसीद खाँ, का0 भीम कुमार व म0का0 प्रीति, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvnns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 177/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 22/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध पार्किंग कर खड़े किये जा रहे भारी वाहनों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2020 को थाना रोहनियां पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर मोहनसराय चौराहे से 2 किलोमीटर की दूरी तक दोनों तरफ सड़क पर व सड़क के किनारे पार्किंग नियमों का उल्लंघन कर खड़े किये गये वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 149 ट्रकों का ई चालान (ई-जुर्माना राशि रु0 2,46,500/-) किया गया। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स और जो बड़े दुकानदार सड़क के किनारे ट्रक खड़ा करके सामान उतरवाते हैं, उन्हें हिदायत दी गयी कि पार्किंग नियमों का अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 179/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 22/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 22-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थानाध्यक्ष चोलापुर श्री कुलदीप दूबे, उ०नि० श्री दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी अजगरा, थाना चोलापुर व हे०का० मो० हनीफ थाना चोलापुर वाराणसी को प्रशासनिक आधार पर पुलिस लाईन स्थानान्तरित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

थाना शिवपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अपराधी रविन्द्र कुमार वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, अमरनाथ मौर्या, अजय प्रकाश व धर्मेन्द्र कुमार द्वारा आसम इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड नामक फर्म बनाकर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी सम्पत्ति जिसकी कीमत रु0-6,46,80,160/- (छः करोड छियालिस लाख अस्सी हजार एक सौ साठ रूपया) है, को धारा-14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-22.09.20 को थाना प्रभारी शिवपुर श्री नागेश कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मु0अ0सं0-636/20 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी के अभियुक्तगण 1-रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम प्रसाद निवासी बेनीपुर चोलापुर वाराणसी, 2-राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कामता प्रसाद निवासी आयर थाना चोलापुर वाराणसी, 3-अमरनाथ मौर्या पुत्र मेवा लाल निवासी जंगलपुर थाना गोपीगंज भदोही, 4-अजय प्रकाश पुत्र हरिनाथ निवासी फुलवरिया थाना कैण्ट वाराणसी, 5-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र होरी लाल निवासी महदेपुर थाना बडागाँव वाराणसी का एक नाजायज व संगठित आपराधिक गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अभियुक्त रविन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्त है। अभियुक्त रविन्द्र कुमार वर्मा द्वारा अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों को आर्थिक, भौतिक लाभ पहुँचाने हेतु अपराध कारित किया जाता हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर/खूंखार किस्म के अभ्यस्त एवं पेशेवर अपराधी है, जो विगत कई वर्षों से अलग-अलग गिरोह व फर्म बनाकर अपराध में सक्रिय है। अभियुक्तगण रविन्द्र कुमार वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, अमरनाथ मौर्या, अजय प्रकाश, धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने नाम पर, अपने फर्म के नाम पर व अपने सगे सम्बन्धियों के नाम पर निम्न सम्पत्तियाँ क्रय की गयी, जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुर्की की कार्यवाही की गयी। कुर्क की गयी सम्पत्तियों का विवरण निम्नवत है-

1. वर्ष 2014 में आ0न0-1227 मौजा छितौनी परगना कसवारराजा तहसील सदर जनपद वाराणसी में रकबा-0.418-1/2 हेक्टेयर विक्रेता अनीता राय पत्नी ओमप्रकाश राय व रोहित कुमार राय पुत्र ओमप्रकाश राय निवासीगण-डी-65/429 ए लहरतारा वाराणसी से आसम इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड जरिए प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार पुत्र शिवलाल प्रजापित, निदेशक रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामप्रसाद वर्मा व निदेशक अमरनाथ पुत्र मेवालाल रमाकुन्ज सी-32/22-17 राम सिंह राना नगर कालोनी छित्तूपुर सिगरा वाराणसी के नाम पर क्रय किया गया है, जमीन की सरकारी मालियत राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल-2,51,10,000/- (दो करोड इक्यावन लाख दस हजार) रूपया अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है।
2. वर्ष 2014 में आ0न0-329 मौजा हरिहरपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जनपद वाराणसी में रकबा-0.017 हे0 व आ0न0-331 रकबा-0.017 हे0 कुल दो गाटा रकबा-0.034 हे0 यानि 3699.2 वर्गफीट यानि 343.79 वर्गमीटर विक्रेता कुमारी देवी पत्नी स्व0 गौरीशंकर व चन्द्रबली पुत्र स्व0 गौरीशंकर

निवासीगण हरिहरपुर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी बजरिए मुक्तारेआम आदिल पुत्र स्व0 गौरीशंकर निवासी हरिहरपुर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी से आसम इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कृष्ण कुमार पुत्र शिवलाल प्रजापित द्वारा अपने नाम पर क्रय किया गया है, जमीन की सरकारी मालियत राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल-34,37,900/- (चौतीस लाख सैतीस हजार नौ सौ) रूपया अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है ।

3. वर्ष 2012 में आ0न0-326 मौजा अजोरपट्टी परगना कटेसर तहसील सदर जनपद वाराणसी में रकबा-961 वर्गमीटर यानि 0.09611 हे0 विक्रेता श्री राम प्रसाद पुत्र गौरी निवासी बेनीपुर खुर्द मुर्दहा बाजार जिला वाराणसी से आसम इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड सी-32/22-17 राम सिंह राना नगर कालोनी छित्तपुरा अन्नपूर्णा नगर सिगरा बजरिए मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार पुत्र शिवलाल प्रजापित निवासी भिटारी पोस्ट लोहता जिला वाराणसी व डायरेक्टर रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा निवासी-बेनीपुर खुर्द पोस्ट मुर्दहा बाजार जिला वाराणसी द्वारा अपने नाम पर क्रय किया गया है,जमीन की सरकारी मालियत राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल-19,22,000/- (उन्नीस लाख बाईस हजार) रूपया अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है ।
4. वर्ष 2012 में आ0न0-867 मौजा भट्टी परगना देहात अमानत तहसील सदर जनपद वाराणसी में रकबा-5440 वर्गफीट यानि 505.57 वर्गमीटर विक्रेता श्री भोलानाथ पुत्र स्व0 रामनिहोर निवासी भट्टी परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी से आसम इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड सी-32/22-17 राम सिंह राना नगर कालोनी छित्तपुरा अन्नपूर्णा नगर सिगरा बजरिए मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार पुत्र शिवलाल प्रजापित निवासी भिटारी पोस्ट लोहता जिला वाराणसी द्वारा अपनी पत्नी संजू देवी के नाम पर क्रय किया गया है,जमीन की सरकारी मालियत राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल-91,00,260/- (इक्यान्बे लाख दो सौ साठ) रूपया अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है ।

उपरोक्त सम्पत्ति जिसकी सरकारी मालियत कुल-रु0-6,46,80,160/- (छः करोड छियालिस लाख अस्सी हजार एक सौ साठ रूपया) अपराध से अर्जित उक्त सम्पत्तियो को अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

- 1-रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम प्रसाद निवासी बेनीपुर चोलापुर वाराणसी ।
- 2-राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कामता प्रसाद निवासी आयर थाना चोलापुर वाराणसी ।
- 3-अमरनाथ मौर्या पुत्र मेवा लाल निवासी जंगलपुर थाना गोपीगंज भदोही ।
- 4-अजय प्रकाश पुत्र हरिनाथ निवासी फुलवरिया थाना कैण्ट वाराणसी ।
- 5-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र होरी लाल महदेपुर थाना बडागाँव वाराणसी ।

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0- 342/2020 धारा-420/406/504/506/447/468/471/34/201/120बी भादवि व 3(2)(5) एस0सी/एस0टी0 एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी ।
- 2- मु0अ0सं0- 367/2020 धारा-419/420/406/504/506/467/468/471/34/120बी भादवि व 3(2)(5) एस0सी/एस0टी0 एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी ।
- 3- मु0अ0सं0-368/2020 धारा धारा-419/420/406/504/506/467/468/471/34/120बी भादवि व 3(2)(5) एस0सी/एस0टी0 एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी ।

- 4- मु0अ0सं0- 461/20 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना शिवपुर वाराणसी ।
- 5- मु0अ0सं0-636/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी ।

सम्पत्तियों को कुर्क करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री नागेश कुमार सिंह थाना प्रभारी शिवपुर, वाराणसी ।
- 2- श्री राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कैण्ट वाराणसी ।
- 3- श्री कुलदीप कुमार दूबे थानाध्यक्ष चोलापुर वाराणसी ।
- 4- श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थानाध्यक्ष लोहता वाराणसी ।
- 5- श्री उमेश कुमार विश्वकर्मा थाना प्रभारी रोहनिया वाराणसी ।
- 6- श्री प्रेम नारायण विश्वकर्मा चौकी प्रभारी मुर्दहा थाना चोलापुर वाराणसी ।
- 7- श्री राधेश्याम सिंह चौकी प्रभारी कोटवा थाना लोहता वाराणसी ।
- 8- का0 अभिषेक गिरि थाना शिवपुर वाराणसी ।
- 9- का0 रविकान्त सरोज थाना शिवपुर वाराणसी ।
- 10-सौम्या रघुवंशी हल्का लेखपाल आयर परगना कटेहर तहसील सदर वाराणसी ।
- 11-श्री शरद कुमार हल्का लेखपाल छितौनी परगना कसवार राजा तहसील सदर वाराणसी ।
- 12-श्री सरोज कुमार हल्का लेखपाल हरिहरपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 181/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 22/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 22-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 35 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *189 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2746 वाहनों का चालान, 24 वाहनों को सीज तथा 450 वाहनों से रु0-4,20,100/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 22-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1146 व्यक्तियों से रु0-63,100/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।